राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 392/2023

डिम्पल चौधरी —**अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व, सचिवालय, जयपुर।
2. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
3. जिला कलक्टर, जयपुर।
4. उपखण्ड अधिकारी, चौमू, जयपुर।
5. फूलसिंह पटवारी, पटवार मंडल विजयपुरा तह. चौमू जिला जयपुर से पटवार मण्डल खेजरोली स्थानान्तरणाधीन।

—**प्रत्यर्थीगण**

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 18.01.2023
आदेश की दिनांक : 15.06.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी संख्या–5 की ओर से : श्री संदीप कलवानिया, अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण आलोच्य आदेश दिनांक 13.01.2023 (अनुलग्नक–1) द्वारा पटवार मण्डल जाटावाली से पटवार मण्डल कुशलपुरा में किया गया है तथा प्रत्यर्थी संख्या–5 फूल सिंह चौधरी का स्थानान्तरण विजयसिंहपुरा से खेजरौली ए में किया गया है। अपीलार्थी का कथन है कि उपखण्ड अधिकारी को अपने उच्च जिला कलक्टर के आदेश दिनांक 27.09.2019 के आदेश में संशोधन आदि करने का कोई क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। अपीलार्थी का पटवार मण्डल बदल दिया गया, जिसके लिए वह सक्षम अधिकारी नहीं है। अन्य आदेश दिनांक 14.01.2023 (अनुलग्नक–2) द्वारा प्रत्यर्थी संख्या–5 फूल सिंह को स्थानान्तरणाधीन दर्शाते हुए अपीलार्थी के स्थान पर पटवार मण्डल जाटावाली, जयपुर किया गया। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 13.01.2023 (अनुलग्नक–1) एवं 14.01.2023 (अनुलग्नक–2) को अपीलार्थी एवं निजी प्रत्यर्थी संख्या–5 की हद तक अपास्त किया जावे तथा अपीलार्थी को निरन्तर पटवार मण्डल जाटावाली में ही कार्यरत रखा जावे।

निजी प्रत्यर्थी संख्या–5 के विद्वान अधिवक्ता ने स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम अधिकारी के द्वारा ही जारी किया गया है और आलोच्य आदेश में अपीलार्थी का स्थानान्तरण चार वर्ष की अवधि पूर्ण करने के पश्चात किया गया है तथा जाटावाली से कुशालपुरा के बीच की दूरी मात्र 2 किमी है। उपखण्ड के अंदर स्थानान्तरण करने के लिए एसडीएम सक्षम प्राधिकारी होता है। आदेश दिनांक 13.01.2023 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी के स्थान पर अन्य कार्मिक श्री कैलाश सिंह कविया को पदस्थापित किया गया है। इसके बावजूद भी अपीलार्थी ने अपील में कैलाश सिंह कविया को पक्षकार नहीं बनाया गया है और अपील में गलत तथ्य वर्णित करके निजी प्रत्यर्थी संख्या–5 को संमंजित करने के आशय का तथ्य वर्णित कर स्थगन प्राप्त किया है, जो गलत है। प्रत्यर्थी विभाग का आदेश दिनांक 14.01.2023 भी सक्षम स्तर से जारी किया गया है। अतः अपीलार्थी की अपील को खारिज फरमाया जावे।

अपीलार्थी ने निजी प्रत्यर्थी संख्या–5 के जवाब का जवाब–उल–जवाब प्रस्तुत किया कि दिनांक 13–1–2023 के आदेश में अपीलार्थी के स्थान पर श्री कैलाश सिंह कविया को अवश्य लगाया गया था लेकिन ततपश्चात श्री कैलाश सिंह कविया का पदस्थापन आदेश दिनांक 14–1–23 के द्वारा भू अभिलेख शाखा तहसील कार्यालय चौमू कर दिया गया और प्रत्यर्थी संख्या–5 का अपीलार्थी के स्थान पर अनुचित लाभ देने की दृष्टि से लगा दिया इसलिए श्री कैलाश सिंह कविया को पक्षकार बनाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। प्रत्यर्थी संख्या–5 ही वर्तमान प्रकरण में आवश्यक पक्षकार है।

प्रकरण में विद्वान् अधिवक्ता अपीलार्थी एवं निजी प्रत्यर्थी संख्या–5 की स्टे वेकेशन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई और पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर मनन किया गया।

दौराने बहस अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण आलोच्य आदेश दिनांक 13.01.2023 (अनुलग्नक–1) द्वारा पटवार मण्डल जाटावाली से पटवार मण्डल कुशलपुरा में किया गया है, जिस पर अपीलार्थी ने अधिकरण से स्थगन प्राप्त कर अपीलार्थी वर्तमान में पटवार मण्डल जाटावाली में कार्यरत है। प्रस्तुत अपील में प्रत्यर्थी संख्या–5 फूल सिंह चौधरी का स्थानान्तरण आदेश दिनांक 03.02.2023 द्वारा खेजरौली ए में कर दिया गया है और जिसकी पालना में प्रत्यर्थी संख्या–5 द्वारा स्थानान्तरित स्थान पर कार्यग्रहण कर लिया है। अतः वर्तमान अपील में प्रत्यर्थी संख्या–5 आवश्यक पक्षकार नहीं रहा है। लिहाजा उसे इस अपील में आवश्यक पक्षकार नहीं होने के आधार पर प्रत्यर्थी संख्या–5 से विलोपित किया जावे। पत्रावली के उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर आदेश दिनांक 13.01.2023 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण पटवार

मण्डल जाटावाली से पटवार मण्डल कुशलपुरा में किया गया है और प्रत्यर्थी संख्या–5 का स्थानान्तरण विजयसिंहपुरा से खेजरौली ए किया गया है। अन्य आदेश दिनांक 14.01.2023 (अनुलग्नक–2) द्वारा प्रत्यर्थी संख्या–5 फूल सिंह को स्थानान्तरणाधीन दर्शाते हुए पटवार मण्डल जाटावाली, तहसील चौमू किया गया परन्तु अपीलार्थी माननीय अधिकरण से स्थगन आदेश प्रदान कर वर्तमान में जाटावाली में कार्यरत है। आदेश दिनांक 03.02.2023 से निजी प्रत्यर्थी संख्या–5 पटवार मण्डल खेजरौली ए में पदस्थापित होकर चार्ज ले लिया है। निजी प्रत्यर्थी संख्या–5 की तरफ से कोई एतराज नहीं किया गया। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निजी प्रत्यर्थी संख्या–5 को इस अपील से विलोपित किया जाता है।

प्रकरण में स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। अपीलार्थी द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 13.01.2023 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण पटवार मण्डल जाटावाली से पटवार मण्डल कुशलपुरा किया गया है, की अपील प्रस्तुत कर अधिकरण से आगामी आदेश तक अन्तरिम स्थगन प्राप्त किया हुआ है। यह स्थगन इस आधार पर दिया गया है कि निजी प्रत्यर्थी संख्या–5 को स्थानान्तरणाधीन दर्शाते हुए अपीलार्थी के स्थान पर समंजित करने की दृष्टि से अपीलार्थी के स्थान पर पदस्थापित किया गया है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निजी प्रत्यर्थी संख्या–5 आवश्यक पक्षकार नहीं होने के आधार पर विलोपित करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसे पूर्व पैरा में स्वीकार कर इस अपील में पक्षकार से विलोपित किया गया है जिससे पूर्णतया स्पष्ट है कि निजी प्रत्यर्थी संख्या–5 को समंजित करने की दृष्टि से स्थानान्तरण आदेश जारी करने का आधार पत्रावली पर वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। साथ ही अपीलाधीन आदेश के नियम विरूद्ध या त्रुटिपूर्ण होने के संबंध में कोई तथ्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अपीलार्थी जाटावाली में दिनांक 27.09.2019 से कार्यरत है। नियोक्ता को यह पूर्ण अधिकारी है कि वह अपने कार्मिक की सेवाएं कब और कहां लेवे। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आलोच्य आदेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है। लिहाजा प्रस्तुत अपील में बल एवं सार नहीं है। अतः अधिकरण द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में पारित अन्तरिम स्थगन आदेश दिनांक 13.01.2023 को समाप्त (Vacate) किया जाता है तथा उपर्युक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी मय स्थगन प्रार्थना पत्र सारहीन एवं बलहीन होने से एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

आदेश आज दिनांक 15.06.2023 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)